4610 (1)

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

(144)

[redacted]

0300 205658

उ०प्र० स्टाम्प अधिनियम सन् १८९९ की धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकिल-२३ए के अनुसार स्टाम्पित।

(3)

- विक्रयपत्र मालियती – ९६,००,०००) रुपया
- एक किता आराजी संक्रमणीय भूमिधरी वाकै मौजा ... मुतल्लिक तहसील व जिला आगरा जिसको संलग्न नक्शा नजरी में रंग लाल से दिखाई गई है कि जिसके चारों ओर २०० मीटर की सीमा में अन्य कृषि भूमि है तथा जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं –

(१) आराजी रकबे दो बीघा चार बिस्वा अर्थात् ० '५६७ हैक्टेयर जिसमें खसरा नम्बरान ३६०, ४०१/१, ४०१/२, ४०२, ४०३, ४०३/१, ४०४/२, ४४२, ३२८ता०, ३८६, ३९८, ४०५, ३८६, ३९९ जिला ... लगान ... रुपये –

कुलदीप कुमार तिवारी
सचिव
आवास सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

हस्ताक्षर ... सं० निबन्धक

[illegible]

(के० डी० मालवीय)

[illegible]

[illegible] आगरा

[illegible] पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

[illegible] दिनांक [illegible]

[illegible] किया।

उप निबन्धक (प्रथम)

आगरा 30-10-03

30/10/03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30-10-03

30/10/03

[illegible]

30/10/03

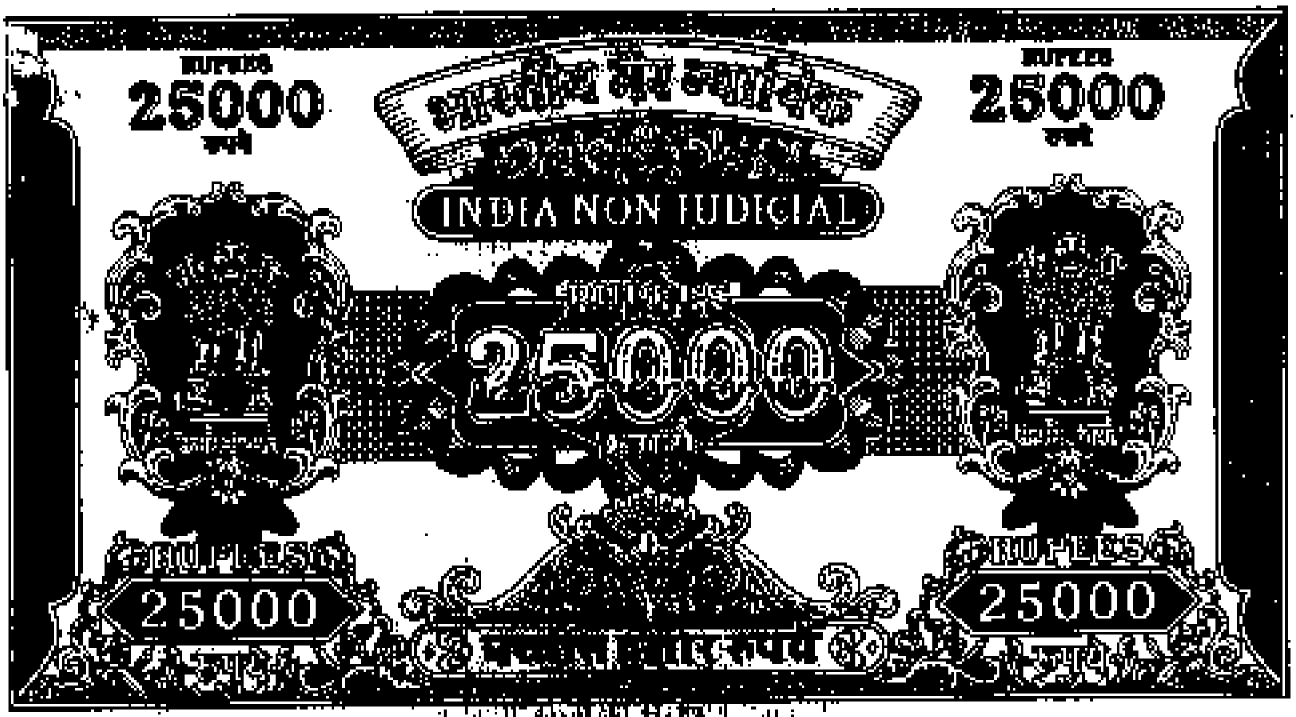

03DD 205659

-२-

(२) आराजी रकबा बारह बिस्वा यथार्थ ० .१३८ हैक्टेयर पिन्सुमला खसरा नम्बरान ३८२,३८५,३६१,३६२,३६४,३८८ स्थित है। लगान हिसाब सर्किल

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित सर्किल दर ब्यालीस लाख रुपया प्रति हैक्टेयर के अनुसार इस विक्रय पत्र पर दस प्रतिशत की दर से [illegible],७१,१००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-0-0-0-

हम कि मैसर्स गनेशीलाल हाउसिंग कम्पनी स्थित गनेश कॉम्पलेक्स, [illegible] मऊ रोड तहसील व जिला आगरा द्वारा अधिकृत भागीदार व हिस्सेदार श्री पीयूष बंसल पुत्र श्री दिनेशचन्द्र बंसल निवासी सिद्धार्थ एन्क्लेव [illegible] आगरा द्वारा मुख्तार आम श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ गुप्ता निवासी डी-३६/१९९३ नेहरु नगर शहर आगरा द्वारा मुख्तारनामा आम [illegible] दिनांक १६-७-२००२ व पुष्टिका १६-७-२००२ पुस्तक बही नं०४ जिल्द ८२० के सफा १२८/१४८ नम्बर ६४३ व दफ्तर उप निबंधक (प्रथम) आगरा

————— विक्रेता पक्ष

प्रमोद कुमार तिवारी
सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

03DD 205660

ख।

पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबंधन संख्या ३१३२ दिनांक ७-६-२००३ द्वारा वर्तमान सचिव व अधिकृत प्रतिनिधि व कब्जादारी श्री जगदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री मनोहरलाल निवासी २३ विनायक विहार ककरैठा शहर आगरा———————————क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि उक्त वर्णित कृषि (१) की आराजी रकबा दो बीघा चार बिस्वा को प्रथमपक्ष ने द्वारा बैनामा लिखित श्रीमती मालती शर्मा व श्री विकास शर्मा मारफत मैसर्स गणेशीलाल एण्ड संस कम्पनी द्वारा भागीदार श्री पीयूष अग्रवाल लेख दिनांक १६-१०-२००१ व मुसद्दिका १६-१०-२००१ मुन्दर्जा फोटोस्टेट बही संख्या १ पुस्तक जिल्द संख्या ३४६२ के सफा १५७।१८८ नम्बर ४३६३ व दफतर उप निबंधक-१ आगरा और भौतिक कब्जा प्राप्त किया और व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार बिचपुरी मुकदमा नम्बर १४।२००१ मुनफासिला ८-१-२००२ के अपना नामांकन रैवेन्यू रिकार्डस में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर के बाजाब्ता कराया

(जगदीप कुमार तिवारी)
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 205661

और मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर बने ।

विदित हो कि उक्त वर्णित क्रमांक (२) की आराजी रकबा आठ बिस्वा और प्रथमपक्ष ने द्वारा बैनामा लिखित श्री विवेक मोहन शर्मा द्वारा मुख्तार श्री विनय कुमार शर्मा मार्फत मैसर्स गनेशीलाल डाउमिंग कम्पनी द्वारा भागीदार श्री पीयूष अग्रवाल हैं दिनांक १६-१०-२००१ व मुद्रांकित १६-१०-२००१ मुंदर्जा फोटोस्टेट बही संख्या १ जिल्द नम्बर ३४६७ के सफात १७७/१९६ नम्बर ७३६२ व दफ्तर उप निबंधक-१ आगरा मे खरीदा और भौतिक कब्जा प्राप्त किया और व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार बिचपुरी मुकदमा नम्बर १५/२००१ मुनफसिला ८-१-२००२ के अपना नामांकन रैवन्यू रिकार्ड्स में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधरी के दाखखारिज कराया ।

विदित हो कि ऊपर दिये गये वर्णन के अनुसार कुल आराजी रकबा दो बीघा सोलह बिस्वा के प्रथमपक्ष बाहैसियत मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर हैं अन्य कोई दावेदार या हकदार आदि किसी प्रकार का नहीं है और प्रथमपक्ष की उक्त आराजी भूमिधरी आज तक प्रत्येक प्रकार के

उमेश ... तिवारी
सचिव
आवास सहकारी ...

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 205662

-5-

ऋण-विक्रय-दान-अमानत-ओदैवादि से कतई पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय स्थान का नहीं है और न ग्राम सभा में निहित है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त [illegible] भूमि घोषित हुआ है और न अधिग्रहित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है और दोनों मूल बैनामे प्रथमपक्ष के पास मौजूद हैं कि वो किसी [illegible] या अमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

विदित हो कि उक्त वर्णित क्रमांक (१) की आराजी के सम्बन्ध में एक मुकदमा वाद संख्या ४४६/२००२ व न्यायालय अतिरिक्त मुंसिफ सिविल कोर्ट आगरा (मालती आदि बनाम गनेशीलाल हाउसिंग कम्पनी) बैर सबजीन है जिसमें अदालत के बाहर दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है और उस सुलह के क्रियान्वन के लिये प्रथमपक्ष अपनी उक्त कुल आराजी खरीददारों को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं इस सम्बन्ध में उक्त मुख्तारनामा बाजाब्ता तहरीर व तकमील किया गया है जो आज तक सही व सालिम है और उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं हुई है तथा उसके निष्पादक श्री पीयूष अग्रवाल जीवित हैं तथा मैसर्स गनेशीलाल हाउसिंग कम्पनी भी कार्यरत है। वर्तमान में द्वितीयपक्ष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

[illegible] नि० [illegible] निबन्धक

जगदीप कुमार [illegible]

पावन सहकारी आ[illegible] लि०

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 205663

एवं सदस्यों के लाभार्थ उक्त आराजी को खरीदने को तैयार हैं जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा-पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष उक्त आराजी को द्वितीयपक्ष के हाथ में बेचने को तैयार हैं।

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त मन बुद्धि इन्द्रिय के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर उक्त कुल आराजी संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी १क(क) को समस्त स्वत्त्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से व रुपया १६,००,०००) सोलह लाख रुपया कि आधे जिसके आठ लाख रुपया होते हैं बदस्त पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के बैय बदले की ओर बेच दी।

हस्ताक्षर ... निष्पादक

जयदीप कुमार तिवारी
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

03DD 205664

प्रथमपक्ष ने कीमत के रुपया में से छः लाख रुपया विभिन्न तारीखों में द्वितीयपक्ष से इस विक्रयपत्र से पहले ब्याने में वसूल पाकर गुजरा दिये और शेष दस लाख रुपया द्वारा दो चेक जिनका वर्णन नीचे दिया है से द्वितीयपक्ष से वसूल पाना स्वीकार किया और दोनों चेक प्रथमपक्ष ने प्राप्त किये और उक्त बाद में [illegible] के पश्चात् उक्त चेकों का भुगतान प्रथमपक्ष ने प्राप्त करना स्वीकार किया इस तरह प्रथमपक्ष को अब कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और प्रथमपक्ष ने बेची गई आराजी

हस्ताक्षर/निब० उप निबंधक

प्रदीप कुमार त्रिवेदी
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

03DD 205665

-८-

भूमिधरी पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष का स्वत्व सचिव के कब्जा व दखल कराते हुये द्वितीयपक्ष को आराजी भूमिधरी मुन्दैया का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा शुद्ध टायटिल दे दिया। अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह आराजी भूमिधरी मुन्दैया मे बहैसियत मालिक काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे क्रय-विक्रय आदि करें अपने उद्देश्यों

हस्ताक्षर मि० सं० निष्पादक

प्रदीप कुमार तिवारी
सचिव
साधन सहकारी समिति लि०
बांसगाव

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

03DD 205666

-६-

की पूर्ति करें तामीरात आदि कायम करें और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावें और अपना नामांकन रैवेन्यू रिकार्ड्स आदि में करा लें प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे आज तक के बकाया लगान प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद से द्वितीयपक्ष अदा करेंगे ।

प्रदीप कुमार मिश्रा
मंत्री
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

03DD 205667

-१०-

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का नाराजी भूमिधरी भूखेया के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई बाधा व झगड़ा हितीयपक्ष है करे और उसके कारण या इनफक्ता के रिमैकिटिव टायटिल है या किसी गलत ब्यानी है या उक्त मुख्तारनामा में कोई डिफैक्ट पाये जाने की वजह

हस्ताक्षर (नि० सं० निष्पादक

जगदीश कुमार (सेक्रे)

पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से आराजी मुबैया का विक्रेता से निकल जावे और उन सब की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना मयहर्जाना का मय सूद व हर्जा व खर्चा के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म प्रथमपक्ष व भावी वारिसान व कायमुकामान प्रथमपक्ष के है और आयंदा

हस्ताक्षर/लि॰ सं॰ विक्रेता

जगदीप कुमार तिवारी
सचिव
भवन सहकारी आवास समिति लि॰
आगरा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

होगी और इसमें प्रथमपक्ष व उसके भागीदारान व वारिसान को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी । उक्त दस लाख रुपया कैसे दिया के एकाउण्ट पेयी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स संजय प्लेस आगरा नम्बरी ४५७६२१ तथा ४५७६२२ प्रत्येक सादा दो ५,००,०००) रुपया दस्तावेजी अध्यक्ष व सचिव

हस्ताक्षर/नि० अ० निबन्धक

जगदीश प्रसाद तिवारी
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000Rs.

पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा एकाउण्ट नम्बर ७६०९ प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिये है। इस बैनामा का कुल खर्चा द्वितीयपक्ष के जिम्मे है। प्रथमपक्ष उक्त वाद में बाजाप्ता सुलह होने के उपरान्त ही उक्त चैकों का भुगतान प्राप्त करने के पाबन्द व अधिकारी हैं।

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

5000Rs.

-१४-

अतः यह बैनामा बक्श हिदायत फरीकान के लिख दिया कि सनद् रहे और वक्तपर काम आवे । नोट-पर्त २ की सतर २ मे (३८२)व पर्त ४ की सतर ५ मे (१६-१०-२००१)व पर्त १० की सतर ४ मे (या) व पर्त ११ की सतर ४ मे

पावन सहकारी आवास समिति लि.

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-१५-

(बारिशान) व पर्द १२ की सतर ९ मे (होगी) गन्दे हैं जो हमको मंजूर हैं।
लेख दिनांक- ३० (तीस) अक्टूबर सन् २००३ ई०।

हस्ताक्षर/नि० सं० निबन्धक

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

100Rs.

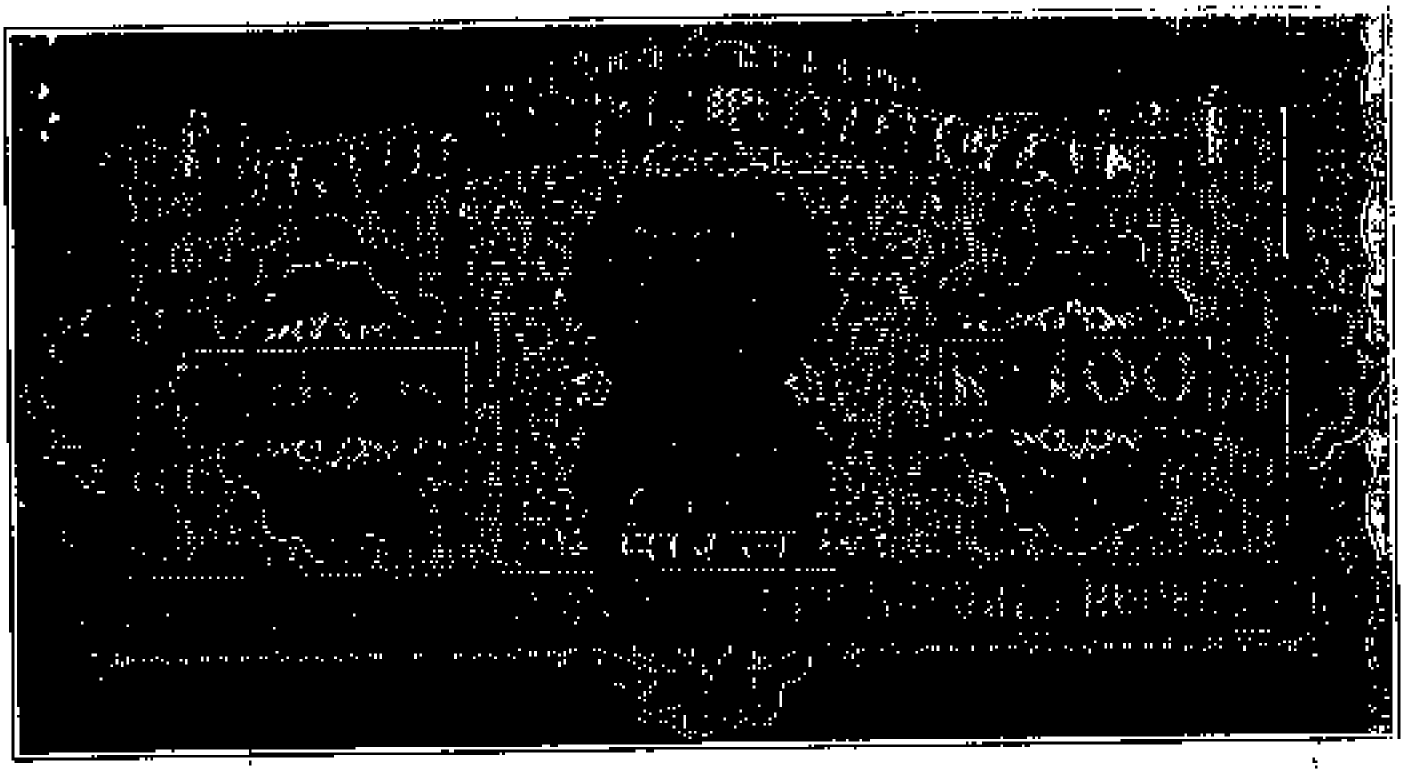

-१६-

मसौदा – पं० हनुमानप्रसाद कौशल निवासी नूरीदरवाजा आगरा।

टायपकर्ता० पूरनचन्द शर्मा तहसील परिसर आगरा।

हस्ताक्षर/निष्पादक

कौशल

विधि व्यवसायी

5200

PAN AB PS 1876-F

साक्षी Dr. Anil Chaudhary

पुत्र Dr. R. K. Chaudhary

निवासी 1 Pathak Colony – Dayal Bagh – Agra

साक्षी R. Singh

पुत्र S/o स्व० बहुबीर सिंह

निवासी 36, ... एन्क्लेव, ... नगर, ...

R. Singh

7733
15-1-03

7732

अग्रवाल

2

2003

4610

372/03-04
15-1-05